वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001

वेबसाइट : mohfw.nic.in

विषय–सूची

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना	i-ii
1.	संगठन और अवसंरचना	1-12
2.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	13-28
3.	मातृ और किशोर स्वास्थ्य	29-46
4.	शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	47-68
5.	रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएचएम)	69-90
6.	परिवार नियोजन	91-106
7.	अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम	107-142
8.	जनसंख्या स्थिरीकरण	143-152
9.	प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान	153-166
10.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य	167-180
11.	चिकित्सा सेवाएं और चिकित्सा आपूर्ति	181-200
12.	स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य बीमा	201-206
13.	खाद्य और औषधियां	207-228
14.	चिकित्सा शिक्षा नीति और चिकित्सा शिक्षा	229-248
15.	केंद्रीय चिकित्सा संस्थान और नए एम्स	249-280
16.	अन्य स्वास्थ्य संस्थान	281-360
17.	सूचना, शिक्षा और संप्रेषण	361-366
18.	स्वास्थ्य बजट और व्यय	367-384
19.	सरकारी कार्य में हिंदी का प्रगामी प्रयोग	385-386
20.	ई–गवर्नेंस एवं टेलीमेडिसिन	387-396
21.	अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं	397-402
22.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में गतिविधियां	403-432
23.	लैंगिक मुद्दे	433-448
24.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको)	449-514
25.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का संगठन चार्ट	515-516
26.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का संगठन चार्ट	517-518
27.	लेखा–परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सार	519-522

प्रस्तावना

प्रस्तावना

हमारा देश विकास के एक आकर्षक चरण का साक्षी है और सभी के लिए विकास की सोच के अनुरूप यह स्वास्थ्य विकास गाथा में अंतर्निहित है। मातृ एवं नवजात टेटनेस को समाप्त करने, याज़ मुक्त होने और सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 4, 5 और 6 को पूरा करने में हमारी सफलता ने हमें स्वस्थ भारत के ध्येय के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रेरित किया है।

इस वर्ष के हमारे कार्य में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की प्रतिबद्धताओं के संबंध में हमारी प्रगति को सक्षम बनाया है। पिछले वर्ष प्रारंभ किया गया आयुष्मान भारत, भारत में स्वास्थ्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आयुष्मान भारत वैश्विक स्वास्थ्य परिचर्या की दिशा में भारत को आगे ले जाने वाला मार्ग है और इसके पूरी तरह से प्रचलन में आने के बाद सभी के लिए वैश्विक, सुलभ, समान और सस्ती स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित हो सकेगी। इसमें दो अंतः संबद्ध घटक हैं, यथा–पहला घटक, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीसीएच) प्रदान करने के लिए उपकेंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अंतरित करके 1,50,000 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) का सृजन करना है। एचडब्ल्यूसी आरोग्य एवं स्वास्थ्य संवर्धन पर संकेद्रण को सक्षम बनायेगा और औषधि तथा निदान को पहुंच में लाने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत रेंज प्रदान करेगा, और यह सेवा समाज के आस–पास प्रदान की जायेगी। पिछले वर्ष के 15 हजार एचडब्ल्यूसी के लक्ष्य की तुलना में लगभग 17 हजार एचडब्ल्यूसी को कार्यशील बनाया गया था। दूसरा घटक, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व और भर्ती होने के पश्चात होने वाले व्यय सहित द्वितीयक एवं तृतीयक परिचर्या हेतु स्वास्थ्य परिरक्षण लाभ देता है। इसके मुख्य विशेषताओं में पैनलबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं (ईएचसीपी) के नेटवर्क के माध्यम से पांच लाख रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य कवर, सेवा केन्द्रों पर लाभार्थियों हेतु कैशलेस सेवाओं को पहुंच में लाना, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी, परिवार की संख्या, आयु और लिंग पर कोई पाबंदी नहीं, और सभी पूर्व विद्यमान शर्तों को शामिल करना निहित है। एचडब्ल्यूसी एवं पीएमजेएवाई को एक एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से जोड़ा जाना है और एचडब्ल्यूसी के एक रक्षक की भूमिका निभाने की आशा है और उपयुक्त रेफरल तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु यह पीएमजेएवाई से जुड़ा रहेगा। मार्च, 2019 तक एबी–पीएमजेएवाई के अंतर्गत 17.96 लाख लाभार्थी उपचार लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिस पर 2417 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), जो हमारा प्रमुख स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर संकेन्द्रित क्रियाकलापों की श्रृंखला के कार्यान्वयन हेतु एक ठोस मंच उपलब्ध कराता है। एनएचएम के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के आबंटन, डिज़ाइन और कार्यान्वयन में लचीलेपन, विशेष रूप से सीमांत एवं अपेक्षित आबादी पर अधिक ध्यान दिए जाने को सुनिश्चित कर राज्यों में स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जाता है तथा आरएमएनसीएएच और संचारी रोगों के अनेक मुख्य संकेतकों में प्रभावकारी सुधार लाया जाता है।

हमारा ध्यान महिलाओं और बच्चों पर लक्षित एवं स्थिर है, हमारा उद्देश्य पहुँच और कवरेज में बढ़ोतरी के साथ–साथ सेवाओं की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करना है। आरएमएनसीएच+ए की कार्यनीति प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य के पांच विषय क्षेत्रों के माध्यम से व्यापक परिचर्या का प्रावधान करने पर आधारित है। परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करने और गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं की सम्मानजनक परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए एक अहम नीतिगत निर्णय लिया गया है।

बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए पांच मुख्य कार्यनीतिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, यथा–नवजात शिशु के स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलाप, पोषण संबंधी क्रियाकलाप,

निमोनिया और डायरिया का निवारण, 4डी (जैसे– जन्म दोष, विकलांगता, विकासात्मक विलंब एवं खामियॉं) और प्रतिरक्षण क्रियाकलाप। माननीय प्रधानमंत्री ने गृह आधारित किशोर परिचर्या कार्यक्रम (एचबीवाईसी) की शुरूआत की और अप्रैल, 2018 में एनिमिया मुक्त भारत संबंधी कार्यनीति का परिचालन दिशा–निर्देश भी जारी किया।

हमने राष्ट्रीय वेक्टर रोग नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी), राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएलईपी) के माध्यम से महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की और लगभग 5 करोड़ हेपेटाइटिस रोगियों के लाभ के लिए एक नए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) की शुरूआत की है।

गैर–संचारी रोगों (एनसीडी) की फैलती महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के माध्यम से एनसीडी क्लीनिकों से संबद्ध सामान्य गैर–संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, रोकथाम, प्रबंधन और नियंत्रण के रूप में राज्यों की सहायता कर रहा है। यह सहायता एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम और एबी–एचडब्ल्यूसी के माध्यम से दी जा रही है। गैर–संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संघ सरकार के 39 विभागों और अन्य हितधारकों के परामर्श में राष्ट्रीय बहु–क्षेत्रीय कार्य योजना तैयार की गई थी।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य अल्पसेवित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सस्ते स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों और संस्थानों की उपलब्धता की असमानता को ठीक करना है। अभी तक घोषित 22 नए एम्स में से, 6 कार्यरत हैं। शेष 16 नए एम्स में से 15 एम्स को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा मौजूदा राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के उन्नयन के लिए 75 परियोजनाओं पर विचार किया गया है जिनमें से 31 पूरी हो गई हैं।

कुशल मानव संसाधन सुनिश्चित करना स्वास्थ्य प्रणाली की बड़ी चुनौती रही है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए, राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। इसके अलावा, 82 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में उन्नत करने के लिए दो चरणों के अंतर्गत लिया गया है ताकि 3 संसदीय क्षेत्रों के समूह के लिए कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इन उपायों के परिणाम स्वरूप 4000 स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों और 10,000 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि हुई है।

ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं में सुधार लाने और इनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसाय विधेयक, 2018 राज्य सभा में पेश किया है जिसके द्वारा, इस तरह के 53 प्रकार के संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायों के लिए अति महत्वपूर्ण केंद्रीय और तत्संगत राज्य परिषदों की स्थापना करने का विचार है। इससे मानकीकरण के माध्यम से न केवल गुणवत्ता सुनिश्चित होगी अपितु भारत और विदेशों में नौकरियों के लाखों अवसर भी पैदा होंगे।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या की कायापलट करने की अपार संभावनाएं हैं। एक राष्ट्र व्यापी समेकित ई–स्वास्थ्य तंत्र विकसित करने की दिशा में अनेक पहले की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा मेटा डाटा और डाटा स्टैंडर्ड (एमडीडीएस) तैयार करके अनुमोदित कर दिया गया है और लगभग 99 प्रतिशत जनस्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को एक यूनिक राष्ट्रीय पहचान संख्या (एनआईएन) प्रदान की गई है ताकि इनकी अंतर–प्रचालनीयता को सरल बनाया जा सके। कंप्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर)/आपातकालीन चिकित्सा रिकॉर्ड (ईएमआर) का पता लगाने के लिए एक अस्पताल सूचना प्रणाली (एचआईएस) कार्यान्वित की जा रही है।

सरकार ने मंत्रालय के लिए लगातार पिछले दो वर्षों से बजटीय आबंटन पर्याप्त रूप से बढ़ाया है जिससे हम अवसंरचना और सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ–साथ नए कार्यक्रमों और क्रियाकलापों को शुरू करने और इनका विस्तार करने में भी सक्षम होंगे। यह अनवरत कटिबद्धता हमारी वचनबद्धताओं को पूरा करने की हमारी योग्यता के विश्वास का प्रमाण है।

मैं आशा करती हूँ कि यह वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018–19 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी क्षेत्रों में की गई प्रगति की झलक प्रस्तुत करने में मददगार होगी।

प्री. सू.

(प्रीति सूदन)
सचिव
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
भारत सरकार